

राजस्थान सरकार

( कायदा - 129 )

2024/90

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

| किस्म मुकदमा<br>1         | नंबर मुकदमा<br>2 | तारीख दायर<br>3 | तारीख फैसला<br>4   | पेशी दिनांक<br>5 |
|---------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 111-128<br>प्रार्थना पत्र | 10/2024          | 14/2/24         | 10/2/24<br>23/2/24 | 12/3/24          |

अनवान

श्री गौपाल S/O छिना बैरवा

श्री जगदीश S/O देराप्र भील

निवासी पापडबड लह बिजौलिया

निवासी निमडीगुआ लह बिजौलिया  
को ②

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री ओमप्रकाश शर्मा  
हर्षवर्धन शर्मा  
सुजल व्याख्य





श्री .....

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत      उपखण्ड अधिकारी      मुकाम      बिजौलियां  
 गोपाल      बनाम      जगदीश  
 किरम मुकदमा - 111-128      नम्बर 10 / 2024

| तारीख हुकम  | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| 14/2 / 2024 | <p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 12/3/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> <br/>                     उपखण्ड अधिकारी<br/>                     बिजौलियां                 </p>   |  |
| 12/3/24     | <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 16/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> <br/>                     उपखण्ड अधिकारी                 </p>  |  |
| 16/4/24     | <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> <br/>                     उपखण्ड अधिकारी                 </p>  |  |
| 23/4/24     | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिकार प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीयों बाद तामील प्राप्त हुई, जिनमें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीयों के विरुद्ध छ-पक्षीय आदेश पारित किए गए, जिनमें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीयों के विरुद्ध छ-पक्षीय आदेश पश्चात् पत्रावली में आदेश पारित किए गए, जिनमें पृष्ठ से छिन्नगार गए। पत्रावली फंसत सुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> <br/>                     उपखण्ड अधिकारी<br/>                     बिजौलियां जिला-भीलवाडा                 </p> |  |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 10/24

तारीख दायर 14/2/24

गोपाल पुत्र किशना जाति बेरवा उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील  
बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. जगदीश पिता देराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी नीमडीगुआ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. प्रेमी पत्नि नाथू जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 23/04/24

प्रार्थना पत्र गोपाल ने जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम नीमडीगुआं पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 20 पर अंकित आराजी संख्या 367/270 रकबा 1.221 हे0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलवाटिया को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /- स्वयं तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।



उप खण्ड अधिकारी

.....निरन्तर पत्र संख्या 2 भीलवाडा  
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा

## पेज संख्या 2

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम नीमडीगुआं पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 20 पर अंकित आराजी संख्या 367/270 रकबा 1.221 हे० भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ  
बिजौलियाँ भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 10/24

तारीख दायर 19/03/2024

प्रेषिति :- तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 10 / पत्थरगढ़ी बाबत।

गोपाल पुत्र किशना जाति बेरवा उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील  
बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. जगदीश पिता देराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी नीमडीगुआ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. प्रेमी पत्नि नाथू जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम नीमडीगुआं पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 20 पर अंकित आराजी संख्या 367/270 रकबा 1.221 हे0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/-रुपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगढ़ी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

